



जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
 रजि.कार्यालय विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर - 302005
 वेबसाईट : www.jaipurdisc.com

क्रमांक जेपीडी/प्र.नि./प.पी.सी/2015/प्रे. 151

जयपुर, दिनांक : 19.06.2015

फीडर सुधार कार्यक्रम (F.I.P.)के अन्तर्गत ट्रांसफार्मर रिकंडीशनिंग कार्य की क्रियान्विति हेतु दिशा-निर्देश

राज्य में व्यवधान रहित, उच्च गुणवत्ता पूर्ण व सुरक्षित विद्युत आपूर्ति हेतु फीडर सुधार कार्यक्रम (F.I.P.)माह मार्च 2014 में आरम्भ किया गया था। उपरोक्त कार्यक्रम में किये जाने वाले विभिन्न कार्यों के सुचारु रूप से क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश समय समय पर निगम के विभिन्न कार्यालयों द्वारा जारी किये गये हैं।

फीडर रख रखाव कार्यक्रम (F.I.P.) में शी फेज एवं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर रिकंडीशनिंग का कार्य भी किया जा रहा है, जिसके क्रियान्वयन हेतु अध्यक्ष डिस्कॉम्स के पत्र संख्या 624 दिनांक 23.09.2014 से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। ट्रांसफार्मर रिकंडीशनिंग प्रक्रिया में ट्रांसफार्मर पर लगे मीटर बॉक्स में मीटर कनेक्शन प्लेट से कनेक्शन हटना (वायर हटना या लीड हटना), वायरिंग खराब होना, एमसीबी का खराब होना, एमसीबी से कनेक्शन हटना (वायर हटना या लीड हटना) एवं मीटर व प्रोटेक्शन बक्सों के कवच का क्षतिग्रस्त होना इत्यादि सम्मिलित है। ट्रांसफार्मर रिकंडीशनिंग कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है एवं उक्त कार्य पूर्ण गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुये सम्पादित नहीं किया जा रहा है। उक्त कार्य को सुचारु रूप से अच्छी गुणवत्ता के साथ किये जाने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष डिस्कॉम्स द्वारा कानोता सबडिविजन द्वारा किये जा रहे कार्यों की मीटिंग के दौरान यह ज्ञात हुआ कि वृत्त स्टोर में उपरोक्त कार्य करवाने में परिवहन में काफी समय लगता है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि पाथलेट योजना के तहत कानोता सबडिविजन में ट्रांसफार्मर रिकंडीशनिंग का कार्य उपखण्ड कार्यालय में सीएलआरसी प्रावधानों पर आरम्भ किया जावे। अन्य स्थानों पर पूर्व की तरह सहायक भण्डार नियंत्रक कार्यालय में ही रिकंडीशनिंग कार्य जारी रखा जायेगा। कानोता उपखण्ड कार्यालय पर ट्रांसफार्मर की रिकंडीशनिंग हेतु निम्न आदेश दिये जाते हैं:-

1. पवस के कनिष्ठ अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा सी-कण्डशनिंग हेतु सिंगल फेज एवं शी फेज ट्रांसफार्मर फीडरवार इम्पूवमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत पूर्व में ही चिन्हित कर लिये गये हैं। सम्पूर्ण कार्य व्यवस्थित रूप से करने के लिए संबंधित वृत्त अधिकारी

- उपखण्ड सहायक अभियन्ता को प्रथमचरण में 10 सिंगल फेज एवं 10 थ्री फेज नये ट्रांसफार्मर विभिन्न क्षमता के उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे :
2. उपखण्ड स्तर पर रिक्डीशनिंग करने से पूर्व सभी सिंगल फेज एवं थ्री फेज ट्रांसफार्मरों का सम्पूर्ण ब्यौरा पृथक-पृथक रजिस्टर में सहायक अभियन्ता कार्यालय में इन्द्राज किया जायेगा, जिसमें क्रमवार ट्रांसफार्मर का क्रमांक, रेटिंग इत्यादि एवं रिक्डीशनिंग हेतु प्राप्त का संक्षिप्त कारण, तिथि एवं थ्री फेज ट्रांसफार्मर में स्थापित मीटर की रिडिंग भी दर्ज की जायेगी, मीटर में रिडिंग न आने की स्थिति में एच.एच.टी. द्वारा मीटर रिडिंग रिकॉर्ड की जायेगी। पूर्व में ली गई रीडिंग में यदि कोई अन्तर हो तो नियमानुसार लेखाकार द्वारा उपभोक्ता के बिलिंग में समायोजित करना सुनिश्चित किया जावे।
 3. सहायक अभियन्ता पवस द्वारा किसी कारण रीडिंग नहीं ली जा सकी है तो उपखण्ड से संबंधित मीटर प्रयोगशाला के माध्यम से रीडिंग रिकॉर्ड की जावे।
 4. उपखण्ड कार्यालय में रिक्डीशनिंग हेतु आये सभी ट्रांसफार्मरों के एच.वी. साईड में एल.टी. सप्लाइ देकर ट्रांसफार्मर की जांच करेंगे (कन्ट्र्युनिटी) कि ट्रांसफार्मर सही है अथवा नहीं। जांच के दौरान ट्रांसफार्मर में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो उपरोक्त ट्रांसफार्मर की नियमानुसार जी.पी./बी.जी.पी. के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये व सही पाये जाने पर ट्रांसफार्मर में पाई गई त्रुटियों का निरीक्षण सहायक अभियन्ता व मुख्यालय पर पद स्थापित कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा संयुक्त रूप से किया जावे। संयुक्त तकमीना बनाकर त्रुटियों का फोटोग्राफ भी लिया जावे। कर्मियों को दूर करने के पश्चात मीटर व प्रोटेक्शन बक्स को कम्पलीट वैल्विंग करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करें कि एल.टी. बुशिंग से बस बार चैम्बर व एम.सी.सी.बी., मीटर तक में प्रयुक्त किये गये तारों का साईज निर्धारित क्षमता का है व मीटर स्थापित ट्रांसफार्मर के मीटर व एम.सी.सी.बी. के आउटगोईंग टर्मिनल तक सप्लाइ चालू है, कार्य पूर्ण रिपोर्ट मय सामान का विवरण पुनः संयुक्त रूप से हरताक्षर करेंगे तथा तैयार रिक्डीशनिंग ट्रांसफार्मर का फोटो भी लेवे। ट्रांसफार्मर तैयार होने पर सहायक अभियन्ता उपखण्ड व कनिष्ठ अभियन्ता मुख्यालय संलग्न चैकलिस्ट संयुक्त रूप से हरताक्षरित कर संधारित करेंगे। सहायक अभियन्ता उपखण्ड इस कार्य हेतु अलग से रिकॉर्ड संधारित करेंगे व प्रत्येक ट्रांसफार्मर का लेखा-जोखा रखेंगे।
 5. प्रक्रिया के प्रारंभ में सहायक अभियन्ता उपखण्ड द्वारा एक अंगुणित कार्यादेश जिसमें कि किये जाने वाले सभी संभावित कार्य का विवरण सम्मिलित करते हुए तकमीना अधीक्षण अभियन्ता को प्रस्तुत किया जावेगा, तदोपरान्त तीन कार्य दिवस में वृत्त-अधिकारी द्वारा कार्यादेश जारी कर दिया जावे। कार्य के भुगतान हेतु प्रत्येक ट्रांसफार्मर अनुसार किये गये कार्यों का विवरण विपत्र में पूर्ण रूप से अंकित कर, अनुमानित कार्य आदेश में अंकित दरों पर सहायक अभियन्ता उपखण्ड व संबंधित अधिशाही अभियन्ता द्वारा विन्दु संख्या ८ में इंगित किये गये कार्य का सत्यापन करने

के पश्चात् ही भुगतान करने की कार्यवाही की जावे। सहायक अभियन्ता उपखण्ड व अधिशाषी अभियन्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि स्टोर-परिसर के अन्तर्गत रोडमैप अनुरूप समुचित संख्या में निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित प्रत्येक दिवस में सिंगल फेज/थ्री फेज के ट्रांसफार्मर की रिकंडीशनिंग हो।

6. उपखण्ड सहायक अभियन्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि उपखण्ड स्टोर-परिसर के अनुरूप फीडरवार ट्रांसफार्मर साईट से उपखण्ड स्टोर में लाने की व्यवस्था सुचारु हो।
7. सी-कण्डीशनिंग किये गये ट्रांसफार्मरों को मौके पर लगाने का पूरा रिकार्ड यथा फीडर का नाम, स्थापित करने की तिथि, स्थ.पित करने का स्थान व सिंगल फेज व थ्री फेज क्षमता और यदि यही ट्रांसफार्मर किसी कारण से स्थापित करने उपरान्त क्षतिग्रत व खराब हो जाता है तो खराब होने की तिथि मय कारण भी दर्ज करेंगे। उरा क्षेत्र के कनिष्ठ अभियन्ता व सहायक अभियन्ता रजिस्टर में इन्द्राज कर व समय समय पर उसको जांच के साथ ही मीटर की शीडिंग प्रत्येक दो माह में लेने एवं उसके उपभोग व उपलब्ध हो तो एम.डी.आई. (भार) का रिकॉर्ड कम्प्यूटर के माध्यम से रखा जाना/मॉनिटरिंग किया जाना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी उपभोक्ता की एम.सी.सी. बी. बार-बार ट्रिप हो रही हो, तो उसका भार जांच कर, स्वीकृत भार में नियमानुसार वृद्धि स्वीकृत करने के उपरान्त दूसरा रिकंडीशनिंग किया हुआ ट्रांसफार्मर ही लगावें। बिना रिकंडीशनिंग/पुराना ट्रांसफार्मर स्थापित कर दिया जाता है, तो यह कनिष्ठ अभियन्ता की ब्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
8. सहायक अभियन्ता कितरण अपने कार्यालय परिसर में सिंगल फेज व थ्री फेज ट्रांसफार्मर की स्थापना का मॉडल पूरी एसेसरीज के साथ स्थापित करेंगे ताकि कर्मचारियों को स्थापना हेतु ट्रेनिंग दी जा सकें।
9. रिकंडीशनिंग हेतु मीटर बॉक्स को वेल्ड करने हेतु सामग्री तथा मीटर व एम.सी.सी.बी. के कनेक्शन हेतु प्रयुक्त होने वाले वॉयरों व लम्स का विवरण अधीक्षण अभियन्ता (एम. एम.) के पत्र दिनांक 12.06.2014 में अंकित है। (संलग्न)
10. सभी संभागीय मुख्य अभियन्ता व अधीक्षण अभियन्ता उपरोक्त कार्य को माह मार्च, 2016 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे व प्रत्येक माह अपने संभाग व वृत्त की प्रगति की सूचना अधीक्षण अभियन्ता (प्लान) व अधीक्षण अभियन्ता (एम.आई.एस.) को माह की 5 तारीख तक उपलब्ध करायेंगे।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

(अनुराग भारद्वाज)
प्रबन्ध निदेशक,
जयपुर डिस्कॉम, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक (तकनीकी), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (एम.एण्ड पी., डी.एस.एम.एण्ड आई.टी./एमएम), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
3. संभागीय मुख्य अभियन्ता (पवस), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता (एम.आई.एस./पवस),
जयपुर जिला वृत्त, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर
5. अधीक्षण अभियन्ता (टी.ए.), अध्यक्ष डिस्कॉम्स, जयपुर।
6. तकनीकी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
7. अधिशाषी अभियन्ता (डी.डी.-प्रथम), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
8. सहायक अभियन्ता (पवस), जयपुर डिस्कॉम, कानोता।
9. सहायक भण्डार नियंत्रक (जेपीडीसी), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।

29.8.15
मुख्य अभियन्ता (पी.पी.एम.),
जयपुर डिस्कॉम, जयपुर

JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED
OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER (MM)
OLD POWER HOUSE, NEAR RAM MANDIR, BANI PARK, JAIPUR
PH: 2202607 FAX: 0141- 2202025

NO. JPD/SE (MM)/SPO-VI/D. 1669

JAIPUR, DT. 12-06-2014

The Assistant Controller of Stores/
The Stores Superintendent,
(JCC/JPDC/O&M), JVVNL, Jaipur/Dausa/Awar/Bharatpur/Kota/
Swaimadhapur/Jhalawar/Baran/Bundi/Dholpur/Karoli/Tonk/Behror

Sub: Re-conditioning of Single Phase & Three Phase Distribution Transformers by welding L-shape cleats, change of flexible cable and proper lugs.

In the meeting held on dated 07.06.2014 with Chairman Discoms and Managing Directors of Three Discoms where you were also present, the decisions were taken to re-conditioning of Single Phase & Three Phase Distribution Transformers.

You are, therefore, advised to take further necessary action in the matter as per details given hereunder:

i) Fixing of L-shape cleats of size 90x90x3 mm

Total 06 Nos. cleats; 02 Nos. on top and 02 Nos. on each sides of cover of M&P Box of size mentioned above should be continuously welded with the M&P Box as per drawings enclosed at Annexure-A for Three Phase Distribution Transformers. Similarly, 03 Nos. cleats; 01 No. in center of the top and 01 No. cleat in the center of each sides of M&P Box should be welded in Single Phase Distribution Transformers as per drawings enclosed at Annexure-B. The similar action to be taken for all ratings of Three Phase Distribution Transformers of 10 KVA, 16 KVA, 25 KVA & 40 KVA rating and 5 KVA, 10 KVA, 16 KVA & 25 KVA Single Phase Distribution Transformers.

ii) The size of flexible cable to be changed and lugs should be as under:

Single Phase Distribution Transformers:

Sr. No.	Rating	Size of Flexible Cable	Size of Lugs	
			L.T. Terminal	MCCB
1	5 KVA	10 sq. mm	7028/1 mm	7120/1 mm
2	10 KVA	25 sq. mm	7037/1.8 mm	7129/1.8 mm
3	16 KVA	35 sq. mm	7040/1.8 mm	7133/1.8 mm
4	25 KVA	70 sq. mm	7043/2 mm	7140/2 mm

Three Phase Distribution Transformers:

Sr. No.	Rating	Size of Flexible Cable	Size of Lugs	
			L.T. Terminal	MCCB
1	10 KVA	10 sq. mm	7028/1.0 mm	7122/1.0 mm
2	16 KVA	16 sq. mm	7033/1.2 mm	7030/1.2 mm
3	25 KVA	25 sq. mm	7035/1.8 mm	7034/1.80 mm
4	40 KVA	50 sq. mm	7043/2 mm	7140/2 mm


(N.K. KACHOLIA)

SUPERINTENDING ENGINEER (MM)

(R)


Copy to the following for information and necessary action:

- 1) The T.A. to Chairman Discoms for kind perusal & information of the Hon'ble Chairman Discoms.
- 2) The T.A. to Managing Directors, JVVNL/JDVVNL/AVVNL, Jaipur/Jodhpur/Ajmer for kind perusal & information of the Hon'ble Managing Directors.
- 3) ~~The T.A. to Director (Tech), Jaipur Discom, Jaipur for kind perusal & information of the Director (Tech).~~
- 4) The Superintending Engineer (I&S), JVVNL, Jaipur.
- 5) The Superintending Engineer (JCC/DPDC/O&M), Jaipur Discom, Jaipur/Dausa/Alwar/Bharatpur/Kota/Swaimadhopur/Jhalawar/Baran/Bundi/Karoli/Dholpur/Tonk. He is requested to carry out the work as above as per rates decided in CLRC.


SUPERINTENDING ENGINEER (MM)

Cleats arrangement for 1 Ph transformer

ANNEXURE-B



J. V. V. N. L. (M.E.)
 Generally approved
 Subject to the observations
 vide our letter No. Date.....
 AIN (R/O) SPO () SE ()




UTAM	UTTAM (BHARAT) ELECTRICALS	10 - JAIPUR
	MCCB, Metering & LV DISTRIBUTION	BOX
Rating	5 KVA, 10 KVA, 16 KVA & 25 KVA (1 Phase)	
Customer	JVVNL / AVVNL / JVVNL	
Drawing No	UTTAM / MCCB / 01	
Drawn By	Sharif Khan	
Design Engineer	24.05.2013	S. GUPTA

ANNEXURE-A

Cleats arrangement for Three Phase Transformers.

1. Shape cleats of size 90 x 90 x 3 mm



- 1 15 KVA 3 PHASED. T'S METER AND PROTECTION BOX
- 2 15 KVA 3 PHASED. T'S METER AND PROTECTION BOX
- 3 15 KVA 3 PHASED. T'S METER AND PROTECTION BOX
- 4 15 KVA 3 PHASED. T'S METER AND PROTECTION BOX
- 5 15 KVA 3 PHASED. T'S METER AND PROTECTION BOX
- 6 15 KVA 3 PHASED. T'S METER AND PROTECTION BOX
- 7 15 KVA 3 PHASED. T'S METER AND PROTECTION BOX
- 8 15 KVA 3 PHASED. T'S METER AND PROTECTION BOX
- 9 15 KVA 3 PHASED. T'S METER AND PROTECTION BOX
- 10 15 KVA 3 PHASED. T'S METER AND PROTECTION BOX
- 11 15 KVA 3 PHASED. T'S METER AND PROTECTION BOX
- 12 15 KVA 3 PHASED. T'S METER AND PROTECTION BOX
- 13 15 KVA 3 PHASED. T'S METER AND PROTECTION BOX
- 14 15 KVA 3 PHASED. T'S METER AND PROTECTION BOX
- 15 15 KVA 3 PHASED. T'S METER AND PROTECTION BOX
- 16 15 KVA 3 PHASED. T'S METER AND PROTECTION BOX

- NOTES
- 1 ALL DIMENSIONS ARE IN MM.
 - 2 ALL SURFACES TO BE FINISHED, POLISHED, FINISHED FITTING.
 - 3 SHEET THICKNESS 3 MM.
 - 4 PAINT SHALL BE POLYURETHANE BASED AS ON TRANSFORMER.
 - 5 ALL DIMENSIONS TO BE TAKEN FROM THE CENTER LINE.
 - 6 ALL DIMENSIONS TO BE TAKEN FROM THE CENTER LINE.
 - 7 ALL DIMENSIONS TO BE TAKEN FROM THE CENTER LINE.
 - 8 ALL DIMENSIONS TO BE TAKEN FROM THE CENTER LINE.
 - 9 ALL DIMENSIONS TO BE TAKEN FROM THE CENTER LINE.
 - 10 ALL DIMENSIONS TO BE TAKEN FROM THE CENTER LINE.
 - 11 ALL DIMENSIONS TO BE TAKEN FROM THE CENTER LINE.
 - 12 ALL DIMENSIONS TO BE TAKEN FROM THE CENTER LINE.
 - 13 ALL DIMENSIONS TO BE TAKEN FROM THE CENTER LINE.
 - 14 ALL DIMENSIONS TO BE TAKEN FROM THE CENTER LINE.
 - 15 ALL DIMENSIONS TO BE TAKEN FROM THE CENTER LINE.
 - 16 ALL DIMENSIONS TO BE TAKEN FROM THE CENTER LINE.

1. SACRELITE SHEET SHALL BE AT ALL THE FOUR CORNERS.
 2. CENTER TO CENTER DISTANCE FOR FINDING OF CENTER ON SACRELITE SHEET SHALL BE AT 500 MM.
 3. SACRELITE SHEET SHALL BE OF SIZE 2000MM X 1000MM.

VITIRAN ANJAN N. MITTAL
 S.P.O. (H) SP/10 SE (MSP)
 S.P.O. (H) SP/10 SE (MSP)
 S.P.O. (H) SP/10 SE (MSP)

15 KVA 3 PHASED. T'S METER AND PROTECTION BOX
 DRAWING BY SE 090
 IN NO - 2175